

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

बी.के. त्रिपाठी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: 28-8-14

विषय :-

मॉग संख्या-13-ब्याज संदाय मुख्य शीर्ष-2049-ब्याज अदायगियाँ-उप मुख्यशीर्ष-60- अन्य दायित्वों पर ब्याज-लघुशीर्ष-701-विविध उपशीर्ष-03-विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-57-ब्याज विपत्र कोड-13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु प्राप्त राशि का उप-आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज अदायगियाँ-उप मुख्यशीर्ष-60- अन्य दायित्वों पर ब्याज-लघुशीर्ष-701-विविध उपशीर्ष-03-विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-57-ब्याज विपत्र कोड-13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक-26/बी० टी०-08/2014-15/312/बजट, दिनांक-19.08.2014 एवं पत्रांक-26/बी० टी०-08/2014-15/311/बजट, दिनांक-19.08.2014 से प्राप्त राशि को निम्न रूप में दर्शाये गये निम्नांकित कार्यालय को उप-आवंटित किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विवरण	कुल आवंटन (लाख ₹ में)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा (RJMIRR001)	एजक्यूशन के संख्या-01/2002 (सम्बद्ध डब्ल्यू.पी.सी. संख्या-5913/ 2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार में सिनियर सिविल जज-II, राजमहल द्वारा दिनांक-04.01.2013 को पारित आदेश एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-1373 / जे० दिनांक-23.05.2014 के आलोक में ब्याज के भुगतान हेतु	7.35043	55244	
2	सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMIR001)	दिनांक-11.11.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरबिट्रेशन अपील संख्या-07/2010 झारखण्ड बनाम एच.पी. विश्वास मामले में प्रदत्त निर्देश के आलोक में एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-1417/जे० दिनांक-28.05.14 के आलोक में ब्याज के भुगतान हेतु।	41.00091	55247	
योग			48.35134		

आवंटित राशि - ₹ अड़तालीस लाख पैंतीस हजार एक सौ चौतीस मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2014-2015 में वित्त विभाग के आवंटन पत्रांक-312 एवं 311 बजट, दिनांक-19.08.2014 द्वारा प्राप्त राशि ₹ 7.35043 लाख एवं ₹ 41.00091 लाख कुल ₹ 48.35134 (अड़तालीस लाख पैंतीस हजार एक सौ चौतीस मात्र) के अन्तर्गत है।
- निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एवं नियमानुसार भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग/वित्त विभाग को अविलम्ब भेजेंगे।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- उप-आवंटित राशि का व्यय विधि (न्याय) विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-1373/जे० दिनांक-23.05.14 एवं 1417/जे० दिनांक-28.05.14 वित्त विभाग द्वारा निर्गत आवंटन में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।
- राशि की निकासी निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

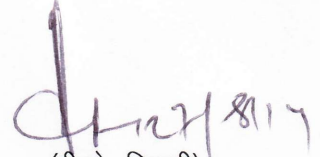
(बिगल बाखला)

अवर सचिव-सह-निकासी
एवं व्ययन पदा०,
जल संसाधन विभाग(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन/उपआवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से अन्य दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से करेंगे।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** कंडिका-1 के स्तंभ-5 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

- अनु- 1. वित्त विभाग का पत्रांक-26/बी० टी०-08/
2014-15/312/बजट, दिनांक-19.08.2014
एवं पत्रांक-26/बी० टी०-08/2014-15/
311/बजट, दिनांक-19.08.2014
2. विधि विभाग का सी०/डी०डी०ए०-02/2013-1373/जे०-23.05.2014
एवं सी०/डी०डी०ए०-10/2013-1417/जे०-28.05.2014


(बी.के. त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

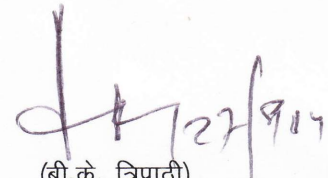
ज्ञापांक :-

101

रॉची, दिनांक :- 28-8-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/देवघर/जामताड़ा/राजमहल/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- अनु- 1. वित्त विभाग का पत्रांक-26/बी० टी०-08/
2014-15/312/बजट, दिनांक-19.08.2014
एवं पत्रांक-26/बी० टी०-08/2014-15/
311/बजट, दिनांक-19.08.2014
2. विधि विभाग का सी०/डी०डी०ए०-02/2013-1373/जे०-23.05.2014
एवं सी०/डी०डी०ए०-10/2013-1417/जे०-28.05.2014


(बी.के. त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

101

रॉची, दिनांक :- 28-8-14

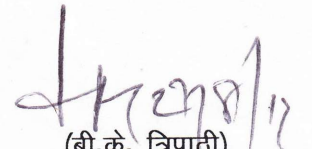
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(बिगल बाखला)
अवर सचिव-सह-निकासी
एवं व्ययन पदा०,
जल संसाधन विभाग


(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी.के. त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची, दिनांक : 19/08/2014

प्रेषक,

विनोद चन्द्र झा,
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

विषय : एजक्यूशन केस संख्या-01/2002 (सम्बद्ध डब्ल्यू०पी०सी० संख्या-5913/2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार में सिनियर सिविल जज-II, राजमहल द्वारा दिनांक-04.01.2013 को पारित आदेश एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृतिदेश सं०-1373/जे० दिनांक 23.05.2014 के आलोक में ब्याज की राशि रुपये ₹7,35,043.00 (सात लाख पैंतीस हजार तैंतालीस) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन ।

महाशय,

एजक्यूशन केस संख्या-01/2002 (सम्बद्ध डब्ल्यू०पी०सी० संख्या-5913/2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार में सिनियर सिविल जज-ए राजमहल द्वारा दिनांक-04.01.2013 को पारित आदेश एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृतिदेश सं०-1373/जे० दिनांक 23.05.2014 के आलोक में ब्याज की राशि रुपये ₹7,35,043.00 (सात लाख पैंतीस हजार तैंतालीस) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन इस शर्त के साथ दिया जाता है कि प्रशासी विभाग द्वारा ब्याज के लिए दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर विधिसम्मत कार्रवाई किया जायेगा। Online Allotment के उपरान्त ब्यौरा संलग्न है।

2. यह आवंटनादेश Online Allotment (IFMS के तहत) के क्रम में दिया जा रहा है।

3. आवंटित राशि गैर योजना मद की मांग संख्या-13-ब्याज संदाय के अंतर्गत मुख्यशीर्ष-2049-ब्याज अदायगियाँ, उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, लघु शीर्ष-701-विविध, उप शीर्ष-03-विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-57-ब्याज विपत्र कोड-13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

4. राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बरहरवा (साहेबगंज) द्वारा जिला कोषागार, साहेबगंज से की जाएगी।

5. संबंधित आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम०-4-05/98-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

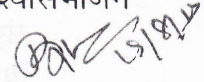
12

C 630

6. वित्त विभाग के पत्रांक 170/बजट दिनांक-01.04.2014 के निर्देशों का पालन किया जाय ।

7. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक-25.03.2015 के पूर्व वित्त विभाग को वापस कर दी जायगी ।

विश्वासभाजन



(विनोद चन्द्र झा)

संयुक्त सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

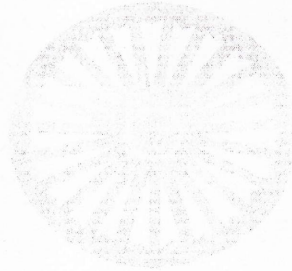
BINOD CHANDRA JHA

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 26/BT-08/14-15/312/BUDGET

दिनांक - 19-Aug-2014

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 13 204960701030757 2049 . ब्याज अदायगिर्यौ 60 . अन्य दायित्वों पर ब्याज 701 . विविध 03 . विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज 07 . अन्य व्यय 57 . ब्याज	52602	DRNWAT001 BIGAL BAKHLA U/S WATER RES DEPT RANCHI	735,043.00 रुपये सात लाख पैतीस हजार तीरयालीस



735,043.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये सात लाख पैतीस हजार तीरयालीस

(BINOD CHANDRA JHA)

JOINT SECRETARY, FINANCE

झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची-834004

प्रेषक,

बी0 बी0 मंगलमूर्ति
 सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
 विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में

महालेखाकार, झारखण्ड,
 पो0-डोरण्डा, राँची ।

राँची, दिनांक- मई, 2014

विषय- एजक्यूशन केस संख्या-01/2002 (सम्बद्ध डब्ल्यू0पी0सी0 संख्या-5913/2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक-04.03.2002 से दिनांक-16.03.2002 तक साधारण ब्याज की दर से सूद की राशि रु0 7,35,043/- (सात लाख पैंतीस हजार तैंतालिस हजार रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति ।

उपर्युक्त विषयक एजक्यूशन वाद संख्या-01/2002 (सम्बद्ध डब्ल्यू0पी0सी0 संख्या-5913/2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार में सिनियर सिविल जज-II, राजमहल द्वारा दिनांक-04.01.2013 को पारित आदेश तथा जल ससाधन विभागीय प्रस्ताव के आलोक में निदेश न्यायालय में जमा करते हुए सूद की राशि के रूप में रु0 7,35,043/- (सात लाख पैंतीस हजार तैंतालिस हजार रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. संबंधित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य शीर्ष-2049-ब्याज अदायगियों-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज-लघुशीर्ष-701-विविध-उपशीर्ष-03-विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-57-ब्याज विपत्र कोड-13N204960701030757 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, बरहरवा (साहेबगंज) होंगे एवं निकासी जिला कोषागार, साहेबगंज से किया जाएगा ।

4. यह मात्र स्वीकृति आदेश है ।

ह0/-

(बी0 बी0 मंगलमूर्ति)

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
 विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक-सी0/डी0डी0ए0-02/2013-

313/जे0

राँची, दिनांक- 23 मई, 2014

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, जल ससाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, साहेबगंज/उपायुक्त, साहेबगंज/जल ससाधन विभागीय संचिका संख्या-7/यो0कोर्ट-केस-25/2009 संलग्न 11/कोर्ट केस 4-5/2001 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(बी0 बी0 मंगलमूर्ति)

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
 विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची, दिनांक : 19/08/2014

प्रेषक,

विनोद चन्द्र झा,
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

विषय : दिनांक-11.11.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरबिट्रेशन अपील संख्या-07/2010 झारखण्ड राज्य बनाम एच०पी०विश्वास मामले में प्रदत्त निर्देश के आलोक में एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-1417/जे० दिनांक 28.05.2014 के आलोक में ब्याज की राशि रुपये ₹41,00,091.00 (इकतालिस लाख इकानबे) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन ।

महाशय,

दिनांक-11.11.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरबिट्रेशन अपील संख्या-07/2010 झारखण्ड राज्य बनाम एच०पी०विश्वास मामले में प्रदत्त निर्देश के आलोक में एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-1417/जे० दिनांक 28.05.2014 के आलोक में ब्याज की राशि रुपये ₹41,00,091.00 (इकतालिस लाख इक्यावने) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन इस शर्त के साथ दिया जाता है कि प्रशासी विभाग द्वारा ब्याज के लिए दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर विधिसम्मत कार्रवाई किया जायेगा। Online Allotment के उपरान्त ब्यौरा संलग्न है।

2. यह आवंटनादेश Online Allotment (IFMS के तहत) के क्रम में दिया जा रहा है। अतः Online आवंटन के क्रम में स्वीकृत्यादेश के समरूप ₹41,00,091.28 (इकतालिस लाख इक्यावन रुपय अठाइस पैसे मात्र) के स्थान पर ₹41,00,091.00 (इकतालिस लाख इकानबे) रुपये मात्र का आवंटन दिया जा रहा है।

3. आवंटित राशि गैर योजना मद की मांग संख्या-13-ब्याज संदाय के अंतर्गत मुख्यशीर्ष-2049-ब्याज अदायगियाँ, उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, लघु शीर्ष-701-विविध, उप शीर्ष-03-विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-57-ब्याज विपत्र कोड-13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

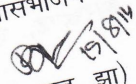
4. राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा द्वारा जिला कोषागार, जामताड़ा से की जाएगी।

5. संबंधित आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम०-4-05/98-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 170/बजट दिनांक-01.04.2014 के निर्देशों का पालन
या जाय ।

7. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में नहीं किये जाने की स्थिति में
दिनांक-25.03.2015 के पूर्व वित्त विभाग को वापस कर दी जायगी ।

विश्वासभाजन



(विनोद चन्द्र झा)

संयुक्त सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

BINOD CHANDRA JHA

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 26/BT-08/14-15/311/BUDGET

दिनांक - 19-Aug-2014

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 13 204960701030757 2049 . ब्याज अदायगिर्यो 60 . अन्य दायित्वों पर ब्याज 701 . विविध 03 . विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज 07 . अन्य व्यय 57 . ब्याज	52625	DRNWAT001 BIGAL BAKHLA U/S WATER RES DEPT RANCHI	4,100,091.00 रुपये इकतालीस लाख इनकानवे



योग: 4,100,091.00

क्रमिक योग: रुपये इकतालीस लाख इनकानवे

(BINOD CHANDRA JHA)

JOINT SECRETARY, FINANCE

119/196/1090

झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची-834004

प्रेषक,

बी० बी० मंगलमूर्ति
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में

महालेखाकार, झारखण्ड,
पो०-डोरण्डा, राँची ।

राँची, दिनांक- मई, २०१४

विषय- दिनांक-११.११.२०११ को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आरबिट्रेशन अपील संख्या-०७/२०१० झारखण्ड राज्य बनाम एच०पी० विश्वास मामले में प्रदत्त निर्देश के आलोक में कुल रु० ४१,००,०९१=२८ (इकतालिस लाख इकानवें रुपये अठाईस पैसे मात्र) ब्याज राशि के भुगतान की स्वीकृति ।

उपर्युक्त विषयक आरबिट्रेशन अपील संख्या-०७/२०१० झारखण्ड राज्य बनाम एच०पी० विश्वास मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त न्याय-निर्देश तथा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पस्ताव के आलोक में निदेशित न्यायालय में जमा करने हेतु ब्याज राशि के रूप में कुल रु० ४१,००,०९१=२८ (इकतालिस लाख इकानवें रुपये अठाईस पैसे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

२. संबंधित राशि की निकासी मांग संख्या-१३-ब्याज संदाय-मुख्य शीर्ष-२०४९-ब्याज अदायगियाँ-उप मुख्य शीर्ष-६०-अन्य दायित्वों पर ब्याज-लघुशीर्ष-७०१- विविध- उपशीर्ष-०३-विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज-विस्तृत शीर्ष-०७-अन्य व्यय-५७-ब्याज विपत्र कोड-१३२०४९६०७०१०३०७५७ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

३. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, जामताड़ा होंगे ।

४. राशि की निकासी जिला कोषागार, जामताड़ा से की जाएगी ।

५. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । राशि के आवंटन हेतु पृथक आवंटनादेश निर्गत होगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(बी० बी० मंगलमूर्ति)

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक-सी० / डी०डी०ए०-१० / २०१३-1417 / जे०

राँची, दिनांक-२८ मई, २०१४

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/बजट पदाधिकारी, बजट शाखा, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, जामताड़ा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.05.14

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।